आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 31 / 2018** **संयोगा देवी बनाम् राज्य एवं जॉन कुजूर** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील वाद संख्या–224-R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी थी। इस पुनरीक्षण आवेदन पर इस न्यायालय में दिनांक–24.12.2018 को सुनवाई प्रारम्भ हुई। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक लगातार 09 तिथियों पर अनुपस्थित रहे। दिनांक–24.11.2020 को प्रथम बार आवेदक उपस्थित हुये। उक्त तिथि को सुनवाई हेतु दिनांक–11.01.2021 की तारीख तय की गयी। किन्तु आवेदक पुनः लगातार अनुपस्थित रहे। अंततः दिनांक–24.03.2022 को प्रथम बार आवेदक के पक्ष को सुना गया। यह विषय खाता नम्बर–161, प्लॉट नम्बर–672, ग्राम–कोकर में अवस्थित $2_{1/2}$ कट्ठा भूमि से संबंधित है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि के लिये खतियानी रैयत को मुआवजा भुगतान करतु हुये आदिवासी रैयती भूमि को विनियमित कर दिया गया था। उपायुक्त न्यायालय द्वारा अपीलीय सुनवाई में प्रश्नगत् आदेश को मिली–भगत की कार्रवाई तथा गलत तथ्यों पर पारित आदेश माना गया। उपायुक्त के स्तर से किये गये स्थल जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् भूमि पर जाँच दल द्वारा निरीक्षण के समय ही निर्माण कार्य जारी था, जबकि विशेष विनिमयन पदाधिकारी द्वारा–1969 के पूर्व निर्माण अवस्थित रहने को आधार बनाते हुये मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया था। स्पष्टतः आवेदकों के पास आदिवासी रैयती भूमि पर दखल करने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान आवेदकों से प्रश्नगत् भूमि पर उनके पास उपलब्ध साक्ष्यों के संबंध में पृच्छा की गयी। उनके द्वारा उक्त भूमि को सादा हुकूमनामा से प्राप्त करने का दावा किया गया। यह स्पष्ट है कि आवेदकों के पास आदिवासी रैयती भूमि के वैध हस्तांतरण एवं 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण / संरचना उपलब्ध रहने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदकों	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे[illegible] गई [illegible] बारे मे[illegible] तारी[illegible] साथ[illegible]
	का इस न्यायलय में आचरण पूर्णतः असहयोगात्मक है तथा 04 वर्षों से यह पुनरीक्षण आवेदन सुनवाई हेतु अंगीकृत भी नहीं किया जा सका। पुनरीक्षण आवेदन में कोई ऐसा तथ्य उल्लेखित नहीं है, जिससे कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता हो। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त 28/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 28/3/22	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 17:00:19 +05:30
Location: 192.168.1.40